



समग्र स्वच्छता अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बीमारियों का कारण साफ पानी और सफाई का अभाव है। बीमारी से न सिर्फ स्वास्थ्य की हानि होती है, बल्कि इलाज में पैसा खर्च, काम की हानि एवं आमदानी में कमी होती है। सफाई के अभाव में आदमी गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक सुधार हेतु केन्द्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।



उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन सहन में सुधार लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिए त्वरित कार्य।
- जागरूकता व स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देना।
- स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयन कार्यक्रम क्रियान्वयन

- परियोजना पद्धति पर किये जाने का प्रावधान
- जिला स्तर पर क्रियान्वयन एजेन्सी जिला जल एवं स्वच्छता समिति।
- जनपद स्तर पर विकासखंड जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से।
- ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा।

कार्यनीति

- कार्यक्रम को समुदाय प्रधान एवं जन केन्द्रित बनाना। समाज की सक्रिय भागीदारी।
- मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाना। स्वच्छता सुविधाओं के लिए वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली।
- ग्रामीण शालाओं और आंगनवाडी केन्द्रों को प्रवेश बिन्दु के रूप में स्वच्छता प्रादर्श बनना।
- पंचायत राज संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से जागरूकता निर्माण, प्रचार प्रसार, गतिविधियाँ तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

परियोजना के घटक

- प्रारंभिक गतिविधियाँ
- सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ।
- वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली का विकास एवं उत्पादन केन्द्र।
- पारिवारिक एवं संस्थागत शौचालय का निर्माण।

निर्मल ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित मापदण्ड

- ग्राम पंचायत के सभी घरों में शौचालय होना तथा उसका उपयोग होना ।
- ग्राम पंचायत के सभी स्कूलों व आंगनवाड़ियों में शौचालय होना तथा उसका उपयोग छात्र - छात्राओं द्वारा किया जाना ।
- सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में बने हुए शौचालयों का रख-रखाव नियमित रूप से होना ।
- ग्राम पंचायत में कूड़ा कचरा निपटान हेतु समुचित व्यवस्था होना ।
- ग्राम पंचायत में गंदे पानी की निकासी के लिए सोखता गड्ढा तथा नाली बनी होना ।
- ग्राम पंचायत के सभी रास्तों एवं गलियों में नियमित रूप से साफ-सफाई होना ।
- ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपंपों में प्लेटफार्म बना हुआ होना तथा हैण्डपंप के आस-पास गंदगी या गंदे पानी का जमावट नहीं होना ।
- ग्राम पंचायत के सभी घरों में साफ-सफाई होना तथा खाने से पहले एवं शौचालय के बाद साबुन से या ताजी राख से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था होना ।



शौचालय निर्माण वर्ष – 2008–09
शा.उ.मा.वि. सुरलाखापा
जनपद पंचायत – हरई

जिले हेतु स्वीकृत परियोजना

- बी.पी.एल. परिवारों हेतु पारिवारिक शौचालय — 116436 ईकाई
- ए.पी.एल. परिवारों हेतु पारिवारिक शौचालय — 133487 ईकाई
- ग्रामीण शालाओं में संस्थागत शौचालय — 3667 ईकाई
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय — 286 ईकाई
- ग्रामीण स्वच्छता सामग्री आपूर्ति केन्द्र — 5 ईकाई
- आई.ई.सी. गतिविधियों का संचालन — सम्पूर्ण जिले में
- स्वीकृत परियोजना की लागत — 5347.45 लाख

समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2010 की स्थिति में जिले में स्वीकृत योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन प्रगति -

■ भौतिक प्रगति

क्रमांक	घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
1	व्यक्तिगत शौचालय (बी.पी.एल.)	116436	43016
2	व्यक्तिगत शौचालय (ए.पी.एल.)	133487	68162
3	शाला शौचालय	3667	4937
4	आंगनवाड़ी शौचालय	286	286
5	समुदायिक स्वच्छता परिसर	50	18

■ वित्तीय प्रगति

क्रमांक	कुल प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	1739.66 लाख	1719.39 लाख	98.83 प्रतिशत

- लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से जिले में जनजागृति का वातावरण तैयार कर ग्रामवासियों को शौचालय निर्माण हेतु अभिप्रेरित किया जा रहा है । जिले में सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण जिला एवं जनपद स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है एवं इसके माध्यम से मोटीवेटर्स तैयार किये गये हैं । निर्मल वाटिका उपयोजना से भी शौचालय निर्माण हेतु सहयोग लिया जा रहा है ।

■ निर्मल ग्राम पुरस्कार -

जिले में वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित 120 निर्मल ग्राम पंचायतों में से 21 ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु चयनित की गई हैं । वर्ष 2008-09 में 6 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु चयनित हुई हैं । वर्ष 2009-10 हेतु 61 ग्राम पंचायतों को भारत शासन की वेबसाईट में ऑन लाईन इन्द्राज कर प्रस्तावित की गई



प्राथमिक शाला
ग्राम - सालईढाना
ग्राम पंचायत - पिपलाकन्हान
जनपद पंचायत - सौंसर

समग्र स्वच्छता अभियान, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा